भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश,
भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स,
नर्मदापुरम रोड, भोपाल–462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT,
Office of the Accountant General
(A & E) Madhya Pradesh,
Bhopal Branch, 53, Arera Hills,
Narmadapuram Road, Bhopal-462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in

क्र.उ.म.ले.(नि.ले.)/APAR/2025-26/डी-14 दिनांक: 28.04.2026

प्रति,

समस्त संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी
मध्य प्रदेश

विषय: **वर्ष 2025-26 की (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन) APAR लेखन प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2025-26 की APAR प्रक्रिया बावत इस कार्यालय द्वारा कोरे प्रपत्र एवं निर्देशिका अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी की गयी थी जिसमें मध्य प्रदेश के संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी / कर्मचारियों हेतु निर्देश एवं रिपोर्टिंग अधिकारी (कार्यपालन यंत्रियों) को APAR रिपोर्टिंग हेतु निर्देश / जानकारी प्रेषित की गयी थी।

कुछ संभागीय लेखापाल (परिवीक्षाधीन) द्वारा इस इस कार्यालय में संपर्क किये जाने के उपरांत यह संज्ञान में आया है कि परिवीक्षाधीन संभागीय लेखपालों के विषय में APAR एवं वर्क कंडक्ट रिपोर्ट भरे जाने के विषय में स्पष्टता का अभाव है। एवं, वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टेड APARs में मेडिकल रिपोर्ट का संलग्न न होना भी संज्ञान में आया है।

इस हेतु यह लेख है कि:

1. परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल कर्मचारियों के सम्बन्ध में वर्ष 2025-26 के लिए:
   अ. वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR);
   ब. कार्य एवं आचरण रिपोर्ट (Work and Conduct Report), दोनों लिखा जाना अनिवार्य है।
2. वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) के साथ निर्धारित प्रारूप में मेडिकल रिपोर्ट का संलग्न होना अनिवार्य है।

अतः इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि संभागीय लेखापाल (परिवीक्षाधीन) वर्ष 2025-26 के लिए APAR एवं Work Conduct Report दोनों भरा जाना सुनिश्चित करें एवं, वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी वर्ष 2025-26 की APAR के साथ मेडिकल रिपोर्ट संलग्न करना सुनिश्चित करें।

एवं, उपरोक्त निर्देशों को सम्बंधित रिपोर्टिंग अधिकारी (कार्यपालन यंत्री) के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करें।

28/4/2026
वरिष्ठ लेखाधिकारी
प्रशासन

प्रति,
मध्यप्रदेश के विभिन्न निर्माण संभागों (PWD, WRD, PHE), ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा (RES) एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के समस्त कार्यपालन यंत्री जो कि संभागीय लेखापाल संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी के विषय में वर्ष 2025-26 की APAR लेखन हेतु रिपोर्टिंग अधिकारी हैं।

S-24 28.04.2026